

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

E-Mail:- r.mes@rajasthan.gov.in contact no..-0141-2601727



क्रमांक:-एफ.15(07)डी.एम.ई/एके./2018/पार्ट-1/5902

दिनांक :- 19.7.2023

आदेश

चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)एम.ई/ग्रुप-1/2015 दिनांक 18.04.2017, प.7(11)/राजमेस/एके./एमबीबीएस फीस/2018 दिनांक 10.09.2020, प.15(07)डीएमई/एके./2018/10344 दिनांक 28.09.2020 एवं प.8(4)/एम.ई/ग्रुप-1/2022 दिनांक 30.09.2022 के क्रम में राजमेस मेडिकल एजुकेशन सोसायटी के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में अकादमिक सत्र 2023-24 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए राजकीय, मेनेजमेंट एवं एनआरआई सीट की फीस तथा अजमेर, कोटा एवं उदयपुर के एनआरआई सीटों की फीस की राशि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

Part-A

Type Of Fees	Type of Seats	Fees
Tuition Fee (Yearly)	Government Seats	₹ 63,800
	Management Seats	₹ 8,68,200
	NRI Seats (1st & 2nd Semester)	\$ 34,728.75 (At the time of Admission)
	NRI Seats (3rd to Last Semester)	\$ 17364.375 (Per Semester)

Part-B

Type Of Fees	Fees
Admission fee (Once)	₹18600
Caution money (Once)	₹7900
Sports fee & Academic Fund (Yearly)	₹15400
Infrastructure Development & Welfare fund (Yearly)	₹7900

Part-C

Type of Charges	Amount
Hostel Maintenance charges (Single seated room) (Yearly)	₹32300
Hostel Maintenance charges (Double seated room) (Yearly)	₹25900
Hostel Maintenance charges (Triple seated room) (Yearly)	₹21000
Electricity & water Charge (Yearly)	₹11300

नोट:-

- 1- राजमेस के चिकित्सा महाविद्यालयों में आदेश क्रमांक एफ.15(07) डीएमई/एके./2018/2276 दिनांक 28.10.2020 के द्वारा जो छात्र अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं से

अतिरिक्त सुविधा बाबत निर्धारित राशि 50,000/- रुपये वार्षिक वसूल की जा रही है, जो शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए भी यथावत् रहेगी।

2. Tuition Fee, Admission fee and Caution money हेतु निर्धारित राशि अकादमिक सत्र 2023-24 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए लागू होगी।
3. Sports & Academic Fund, Infrastructure Development & Welfare fund, Hostel Maintenance charges and Electricity & water Charges एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत समस्त (नये व पुराने) छात्रों से एक समान प्राप्त की जायेगी।
4. एनआरआई छात्रों के लिए भारतीय रुपये में फीस राशि का निर्धारण सेमेस्टर प्रारम्भ होने की दिनांक (यथा 1 अगस्त/1 फरवरी) को यू.एस.डॉलर (USD) के प्रचलित मूल्य के अनुसार निकटतम रुपये 100/- तक किया जावेगा।
5. उक्त फीस 4 वर्ष 6 माह के लिए सेमेस्टर वार प्राप्त की जावेगी।
6. अन्य शर्तें पूर्व की भांति यथावत् रहेगी।

(शिवप्रसाद त्रिपाठी)
निदेशक, राजमेस

क्रमांक:-एफ.15(07)डी.एम.ई./एके./2018/पार्ट-1/ 5902

दिनांक:- 19-7-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष राजमेस जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, राजमेस।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) /आयोजना/बजट/विभाग, जयपुर।
5. अति. निदेशक (प्रशा.) एवं पदेन शासन उप सचिव, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर।
6. निजी सहायक, उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) जयपुर।
7. अति निदेशक (प्रशासन) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा/राजमेस, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक (अकादमिक) चिकित्सा शिक्षा/राजमेस।
9. समस्त प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, राजमेस।
10. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक अजमेर, कोटा एवं उदयपुर को एनआरआई सीटों की फीस बाबत सूचनार्थ।
11. वित्तीय सलाहकार, राजमेस/ निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजमेस।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, राजमेस